नगर निगम शिमला

क्रमांकःननिशि/आयुक्त/2021---   दिनांकः-

नगर निगम शिमला की वर्ष 2021-22 की 10वीं साधारण बैठक Physically व Video Conferencing के माध्यम से (on line and Off line both) दिनांक 28-01-2021 को अपराह्न 2.30 बजे बचत भवन में होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त बैठक हेतू दिनांक 28.06.2021 को अपराह्न 2:30 बजे उपलब्ध रहने की कृपा करें। बैठक की कार्यसूची PDF आपको Whats App के माध्यम से भी भेजी जा रही है।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

1.	श्रीमती सत्या कौण्ड़ल	मा0 महापौर-सभापति
2.	श्री शैलेन्द्र चौहान	मा0 उप-महापौर
3.	श्रीमती तनुजा चौधरी	मा0 पार्षद
4.	श्री संजीव ठाकुर	मा0 पार्षद
5.	श्री सुनील धर	मा0 पार्षद
6.	श्रीमती कुसुम सदरेट	मा0 पार्षद
7.	श्रीमती शैली शर्मा	मा0 पार्षद
8.	श्री विवेक शर्मा	मा0 पार्षद
9.	श्री दिवाकर देव शर्मा	मा0 पार्षद
10.	श्रीमती किरन बावा	मा0 पार्षद
11.	श्री संजय परमार	मा0 पार्षद
12.	श्री आनंद कौशल	मा0 पार्षद
13.	श्रीमती सिमो नंदा	मा0 पार्षद
14.	श्री जगजीत सिंह बग्गा	मा0 पार्षद
15.	श्री बिटू कुमार	मा0 पार्षद
16.	श्रीमती सुषमा कुठियाला	मा0 पार्षद
17.	श्री इन्द्रजीत सिंह	मा0 पार्षद
18.	श्रीमती अर्चाना धवन	मा0 पार्षद
19.	श्रीमती किमी सूद	मा0 पार्षद
20.	कुमारी आरती चौहान	मा0 पार्षद
21.	श्रीमती कमलेश मैहता	मा0 पार्षद
22.	श्रीमती शारदा चौहान	मा0 पार्षद
23.	श्रीमती रिटा ठाकुर	मा0 पार्षद
24.	श्रीमती मीरा शर्मा	मा0 पार्षद
25.	श्री कुलदीप ठाकुर	मा0 पार्षद
26.	श्री राकेश कुमार शर्मा	मा0 पार्षद
27.	श्री राकेश चौहान	मा0 पार्षद

कृ0प0उ0

28.	कुमारी विदूषी शर्मा	मा0 पार्षद
29.	श्रीमती रचना भारद्वाज	मा0 पार्षद
30.	श्रीमती रेनू चौहान	मा0 पार्षद
31.	श्रीमती आशा शर्मा	मा0 पार्षद
32.	कुमारो कुसुम लता ठाकुर	मा0 पार्षद
33.	श्री पूरन मल	मा0 पार्षद
34.	श्रीमती बृज सूद	मा0 पार्षद
35	श्री दीपक शर्मा	मा0 मनोनीत पार्षद
36	श्री जसविन्द्र सिंह	मा0 मनोनीत पार्षद
37	श्री लेख राज कौण्डल	मा0 मनोनीत पार्षद
38	श्री संजीव सूद	मा0 मनोनीत पार्षद
39	श्री राजेन्द्र चौहान	मा0 मनोनीत पार्षद

पृष्ठांकन संख्याः ननिशि/आयुक्त/2021--- दिनांकः-

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज, मा0 शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को सूचनार्थ।
2. श्री अनिरूद्ध सिंह, मा0 विधायक, हि0प्र0 राज्य विधान सभा शिमला को सूचनार्थ।
3. श्री विक्रमादित्य सिंह, मा0 विधायक, हि0प्र0 राज्य विधान सभा शिमला को सूचनार्थ।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

<u>नगर निगम शिमला</u>

शिमला नगर निगम की वर्ष 2021-22 की 10वीं साधारण बैठक दिनांक 28.01.2021 को अपराह्न 2.30 बजे Physically व Video conferencing के माध्यम से (on line and Off line both) बचत भवन में होगी, की कार्यसूची ।

1. <u>कार्यवृतों की पुष्टि ।</u>

नगर निगम शिमला की वर्ष 2021-22 की 9वीं साधारण बैठक जो दिनांक 29.12.2020 को Video Conferencing के माध्यम से (on line) महापौर कार्यालय कक्ष से हुई, के कार्यवृत पुष्टि एवं सभापति द्वारा हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत हैं ।

प्रश्न संख्याः 2(1)47
द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि छराबड़ा में हेली पेड को जाने वाली सड़क पर नगर निगम शिमला की कितनी भूमि/सम्पति है। क्या वहां पर नगर निगम शिमला का पुराना किमैन क्वाटर या अन्य आवास बना था और इस आवास और इस भवन का पूर्ण स्टेटस क्या है? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	उपायुक्त महोदय ने बताया कि छराबड़ा में हैली पेड जो जाने वाली सड़क पर नगर निगम शिमला की भूमि सम्पति है। वहां पर नगर निगम शिमला का पुराना कीमैन क्वाटर है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः- 1. शिवराम कीमैन(नगर निगम शिमला) संजौली जॉन (Sub.Division) के अन्तर्गत। 2. बिजली बोर्ड कार्यालय (कनिष्ठ अभियन्ता) 3. हिरा लाल (peon) जल शक्ति विभाग टुटीकण्ड़ी शिमला। एक कमरा खाली है और इसके साथ कुछ जगह खाली पड़ी है।

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि वहां पर नगर निगम शिमला की कितनी सम्पत्ति है? इस सम्पत्ति को SJPNL से वापिस लिया जाए और वहां पर नव निर्माण करवा जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि निगम पटवारी ने मौका भी देख लिया है व राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त स्थान पर नगर निगम के नाम पर सम्पत्ति नहीं है व न ही नगर निगम के नाम कब्जा है इसलिए निगम द्वारा यहां पर निमाण कार्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्याः 2(2)48
द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि दौलत राम परिसर में दूकान नं0-2 जो अग्नि पीड़ितों को ग्यारह महीने के लिए अस्थाई रूप से दी गई थी,	इस बारे अवगत करवाया जाता है कि दौलत राम परिसर में दुकान नं0-2 श्री पी0पी0 सिंह को अग्नि पीड़ित आधार पर ग्यारह महीने के लिए अस्थाई रूप से दी गई थी। श्री ओम प्रकाश द्वारा सम्बन्धित दुकान नं0-2 को अपने नाम करवाने बारे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

	वह अभी किसके कब्जे में है? यदि इस दूकान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	है, जो कि अभो विचाराधीन है तथा स्वीकृति हेतू मामला हि०प्र० सरकार को प्रेषित किया गया है।
ख)	उक्त जली हुई मार्किट अब बन कर तैयार हो गई है, उस में अग्नि पीड़ितों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	पूछे गए प्रश्न बारे अवगत करवाया जाता है कि उक्त जली हुई मार्किट जोकि अब बन कर तैयार हो गई है, वह मार्किट एक निजी सम्पत्ति थी तथा नगर निगम शिमला की सम्पत्ति न थी। नगर निगम शिमला द्वारा केवल उस समय दौलत राम परिसर में अग्निपीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए ग्यारह माह की लीज पर दुकानों का आबंटन किया गया था परन्तु अग्निपीड़ित परिवारों द्वारा आज तक आबंटित दुकानों का कब्जा निगम को नहीं सौंपा गया है।

श्री संजीव सूद, मा० मनोनीत पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि Fire Victim को जब यह दुकाने 11 माह के लिए दी गई थी तो 11 माह बाद इन दुकानों को वापिस क्यों नहीं लिया गया, श्री ओम प्रकाश कौन है? इसके साथ क्या agreement हुआ है? इस मामले को चैक किया जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि ओम प्रकाश की दुकान का मामला पूर्व में सदन द्वारा पास होने के उपरान्त सरकार को भेजा जा चुका है।

प्रश्न संख्याः 2(3)49

द्वारा : श्री दिवाकर देव शर्मा, मा० पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि अप्रैल माह की मासिक बैठक में कोविड-19के दौरान के कूड़ा, बिजली, पानी व टैक्स के बिल माफ करने प्रस्तावित थे, अभी तक इस बारे क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	नगर निगम, शिमला की 12वीं साधारण बैठक दिनांक 01.04.2020 के प्रस्ताव संख्या 2(6) द्वारा अन्य निर्णयों सहित कोविड-19 अवधि के दौरान कूड़ा, बिजली, पानी व टैक्स के बिलों में प्रस्तावित बढौतरी को 30.06.2020 तक स्थगित करने और इस अवधि में लोगों से किसी प्रकार की पैनल्टी व व्याज न लिए जाने का निर्णय लिया गया था। कोविड-19 अवधि के दौरान सम्पत्ति कर बढौतरी में छूट देने व पैनल्टी या ब्याज माफ करने बारे मामला सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ कार्यालय आदेश पृष्ठांकन सख्या

		MCS/Comm./2020-1315 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा उठाया गया था। इसके उपरान्त नगर निगम शिमला द्वारा प्रस्ताव संख्या 3(4) दिनांक 27.05.2020 द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति करो में दो तिहाई छूट का मामला निगम अपने स्तर पर कर सकती है परन्तु लॉकडाउन के दौरान अन्य व्यवसायिक स्थापनाओं जैसे दुकानें, होटल व लीज्ड प्रापर्टीज इत्यादि बन्द रहने की अवधि तक छूट देने बारे मामला सरकार के साथ उठाने का निर्णया लिया गया था। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला की दिनांक 27.06.2020 का सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव संख्या 3(4) द्वारा निर्णय लिया गया था कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली, पानी, सम्पत्ति कर और कूडे के बिलों में दो माह की छूट दिए जाने पर निगम को होने वाले घाटे की भरपाई हेतू मामला सरकार को पूनः भेजा जाए। नगर निगम शिमला द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली, पानी, सम्पत्ति कर और कूडे के बिलों में छूट दिए जाने बारे समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसरण में मामला सचिव, शहरी विकास, हि० प्र० सरकार के साथ कार्यालय पत्र सख्या MCS/Comm./GA/2020-3256 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा उठाया गया था। मामले में सचिव, शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र सख्या UD-C(8)-1/2019-L दिनांक 02.12.2020 को मामले वांछित मुआवजे की राशि का आकलन करके समय अवधि सहित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। इस बारे सम्बन्धित विभागों से वांछित सूचना का आकलन करवाया जा रहा है।

श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मुआवजे की राशि का जो आकलन करना है इसका कार्य समयबद्ध होना चाहिए। कुड़े के बिलों में जो advance payment करता है उसे 5% की छूट दी जाए और कूड़े के बिलों में 10% का Subscription rebate देने बारे क्या कार्यवाही की जा रही है? 6 माह का बिल मकान मालिक को पड़ रहा है क्योंकि कई बार property खाली रहती है। Service charges प्रति माह charge होने चाहिए। यह मामला सदन की अगली बैठक में लाया जाए। अतिरिक्त आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि कूड़े के बिलों में पिछले साल जो 10% की हाईक ली जानी थी वह नहीं ली गई है परन्तु बिलों में 10% की हाईक सिस्टम में नहीं हो पा रही थी जिसके कारण भी बिलों में देरी हुई थी। 6 माह तक जिसकी property खाली रहती है तो वह आवेदन करे तभी उसके कूड़े बिलों के बारे कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती सुषमा कठियाला, मा0 पार्षद ने कहा कि गुदामों के भी कूड़े के बिल बनाए जा रहे हैं जबकि वहां से कोई कूड़ा नहीं उठता है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि मकान मालिकों की जो ID बनाई जा रही है उसमें कुछ Technically Issues आ रहे है। इसके लिए Joint Director IT का भी बुलाया गया है। इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिस घर से कूड़ा उठे उसका मोबाईल नं0 डाला जाए और उसे ही बिल दिया जाए। 6 माह से अधिक समय के लिए जिसका मकान खाली रहता है इस बारे वह ठोस प्रमाण दे तो उसका बिल मुआफ़ कर दिया जाएगा।

प्रश्न संख्याः 2(4)50

द्वारा : श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि मेरे द्वारा पूर्व मासिक बैठक में लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ था कि पार्षद को कोरपोरेटर बोला जाए। इस बारे अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	नगर निगम शिमला द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत किया जाता है कि मामल निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला को पत्र क्रमांकः ननिशि/संयु0आ0/691/मु0/2019-958 दिनांक 22.03.2019 के साथ उठाया गया था जिस बारे स्मरण पत्र भी जारी किया है, जोकि सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि जो प्रस्ताव लगाए जाते हैं उस पर कार्यवाही होती है या नहीं? अतिरिक्त आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि सभी मामलों में कार्यवाही की जाती है और इस मामले में भी कार्यवाही की गई है व सरकार को स्मरण पत्र द्वारा फिर से अनुरोध किया जाएगा।

प्रश्न संख्याः 2(5)51

द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
	How many complaints related to dog bites/attack has been received by MC	104 No. of complaints received. 656 No. of dogs have been

	Shimla from January 2019 to December 2020 ? How many dogs have been sterilized during the same period ? (Provide month wise data). Also provide the detail of wards in which these sterilization programs were executed.	sterilized. Month wise detail of sterilization enclosed. Dogs for sterilization were picked from all the wards.

श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने कहा कि ward wise data नहीं दिया गया है कि किस वार्ड में कितने dogs sterilize किए गए है। इस बारे पार्षदों को भी inform किया जाना चाहिए। VPHO ने सदन को अवगत करवाया कि हर माह इस सम्बन्ध में रिपोर्ट Director व आयुक्त नगर निगम को दी जा रही है। भविष्य में जहां से कुत्तों को उठाएगें वहां के सम्बन्धित पार्षद को भी अवगत करवा दिया जाएगा और हैल्थ ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा।

प्रश्न संख्याः 2(6)52

द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि सैहब सोसायटी का गठन कब किया गया था और उस समय इसमें कौन-कौन लाईफ सदस्य थे और उस समय किन की अध्यक्षता में यह सैहब सोसायटी गठित हुई और इसकी पहली बैठक किनके साथ हुई तथा वर्तमान में सैहब सोसायटी की क्या स्थिति	सैहब सोसाईटी का गठन 12 फरवरी 2009 का किया गया है। सैहब सोसाईटी की जनरल हाउस की बैठक 31/01/2009 को आयुक्त महोदय श्री ए0 एन0 शर्मा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उस समय कुल 9 जनरल हाउस के सदस्य थे। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। 1. Sh. A.N Sharma, Commissioner. 2. Sh. Ashish Kohli, Assistant Commissioner. 3. Sh. Joginder Chauhan, Legal Advisor-cum Law Officer. 4. Dr. Sonam Negi, Corporation Health Officer. 5. Sh. Lalit Bhushan,Executive Engineer,(R&B). 6. Dr. Arun Sarkek, VPHO. 7. Sh. Mukesh Hira Municipal Engineer. 8. Sh. Rajeev Sharma, Architect Planner. 9. Sh. S.L Mahev, Account Officer. वर्तमान में लाईफ सदस्यों की कुल संख्या 105 है। सैहब सोसाईटी की साधारण वार्षिक बैठक का ब्यौरा निम्न प्रकार से है- पहली साधारण बैठक - 14/05/2010 द्वितिय वार्षिक साधारण बैठक - 25/07/2011 तृतिय वार्षिक साधारण बैठक - 2012 चौथी व पांचवी साधारण बैठक - 05/08/2014 छठी वार्षिक साधारण बैठक - 06/11/2015 सातवी वार्षिक साधारण बैठक - 18/09/2017

<table>
<tr>
<td></td>
<td>है इसमें कितने सदस्य है और इसकी AGM की बैठक कब-कब हुई है? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ख)</td>
<td>क्या यह नगर निगम शिमला का पार्ट है, क्या सैहब सोसायटी को नगर निगम फण्ड़ से प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इन पर प्रतिमाह कितनी धन राशि व्यय की जा रही है और इस समय सैहब सोयायटी को प्रतिमाह कितना गारवेज शुल्क प्राप्त हो रहा है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</td>
<td>सैहब सोसाईटी का गठन 12 फरवरी 2009 का किया गया है। सैहब सोसाईटी हिव प्र0 सौसाईटी रजिस्ट्रैषन 2006 एक्ट (No 25/2006) रजिस्टर है। जिसका रजिस्ट्रैषन न0 1/2009 दिनांक 12/02/2009 है। निगम द्वारा जो कर्मचारी सैहब सोसाईटी के अर्न्तगत Out-sourcing किये गये है। इन Out Source कर्मचारियों का वेतन सैहब सोसाइटी को नगर निगम षिमला द्वारा (Reimbursement) किया जाता है। जो इस प्रकार है:–
<u>Reimbursement by M.C Shimla</u>
<table>
<tr><th>Sr. No
Category</th><th>No of Employees</th><th>Gross Salary (in Rupees)</th><th>Employer Share 13.36% (in Rupees)</th><th>ESI Employer (in Rupees) Share 3.25%</th><th>Total Gross Salary+EPF-(13.36%)+ESI-(3.25%) Employer Share</th></tr>
<tr><td>Street Sweeping</td><td>145</td><td>1415383</td><td>182607</td><td>46000</td><td>1643990</td></tr>
<tr><td>Driver</td><td>33</td><td>481139</td><td>61520</td><td>15637</td><td>558296</td></tr>
<tr><td>Casual Worker</td><td>151</td><td>1230625</td><td>159981</td><td>39995</td><td>1430601</td></tr>
<tr><td>Bharyal Plant</td><td>4</td><td>60153</td><td>7166</td><td>1955</td><td>69274</td></tr>
<tr><td>Total worker</td><td>331</td><td>3187300</td><td>411274</td><td>103587</td><td>3702161</td></tr>
</table>
सैहब सोसाईटी में प्रतिमाह प्राप्त गारवेज षुल्क का ब्यौरा:–
माह अक्तूबर, 2020 में कुल आय रु. 1,08,65,122/–
माह नवम्बर, 2020 में कुल आय रु. 1,01,21,267/–
माह दिसम्बर, 2020 में कुल आय रु. 82,73,202/–</td>
</tr>
</table>

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने कहा कि सैहब सोसायिटी नगर निगम शिमला का पार्ट है या नहीं क्यों कि उत्तर में यह नहीं दर्शाया गया है। क्या सैहब सोसायिटी के पैसे बढाने की शक्ति नगर निगम को है या नहीं? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि सैहब सोसायिटी एक Registered Society है और नगर निगम शिमला के तत्वावधान में है। Governing Body पैसे बढा सकती है और मामले AGM में लाए जाते है।

<u>प्रश्न संख्याः 2(7)53</u>

<u>द्वारा : श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद</u>

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि वर्ष 2006 में नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण की दिशा में क्या प्रयास किए है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	इस बारे सूचित किया जाता है कि नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भवन नियमितिकरण हेतू सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अर्न्तगत अधिसूचित दिशा-निर्देशों व निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है। जहा तक प्रश्न नये सम्मिलित क्षेत्रें के भवनों के नियमितिकरण का है तो यह एक नितिगत मामला है तथा 2006 के पश्चात सरकार द्वारा वर्ष 2006 व 2009 में रिटेशन पॉलिसी के अन्तगत भवनों के नियमितिकरण हेतू अधिसूचना जारी की गई थी परन्तु यह निति विशेष क्षेत्रों के लिये न होकर निगम परिधि में सभी नये व प्राने क्षेत्रों हेतू लागू थी इसके पश्चात वर्ष 2017 में सरकार द्वारा अवैध भवनों के नियमितिकरण हेतू एक मुश्त राहत प्रदान करने हेतू अध्यादेश जारी किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर 3.4.2017 को रोक लगा दी गई तथा बाद में इसे माननीय न्यायालय द्वारा 22.12.2017 को dismiss कर दिया गया। तत्पश्चात सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 26.10.2018 को Civil Review file किया गया तथा जो कि माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हेतू विचाराधीन है। नये सम्मिलित क्षेत्रों में भवनों के नियमितिकरण बारे इस समय कोई विशेष नीति लागू नही है। इसके अतिरिक्त यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान में निगम परिधि के सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले भवनो के प्रस्तावित, संशोधित व सम्पूर्ण नक्शे भी वांछित दस्तावेजा व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1994 व नगर निगम भवन उप-विधि 1998 के अन्तगत तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों को ध्यान म रखते हुये स्वीकृत किये जाते है।

श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मामले में Review का क्या status है? नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण बारे सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण बारे कोई special policy नहीं बनी है और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस मामले में चर्चा नहीं की जा सकती है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF HON'BLE MC HOUSE MEETING"

3 (1)

Name of Department: Project Cell
Head of Department: EE-cum-Project Director

Subject: CWP No. 3149 of 2020 titled as Rajiv Mankotia Versus State of H.P regarding housing of all offices of Municipal Corporation under one roof in lift parking.

In the CWP No. 3149 of 2020 titled as Rajiv Mankotia Versus State of H.P the Ld. Counsel for Municipal Corporation Shimla submitted that Municipal Corporation Shimla is planning to put up the construction to house all the branches of Municipal Corporation Shimla at Sabzi Mandi and to this the counsel for the petitioner submitted that the said place is very inconvenient to the public as it is not located at the National Highway and the buses do not ply directly to this place. That under these circumstances, it is submitted that place namely the Lift Parking, which is within the Municipal limits is abutting to the Highway and is very convenient to the public as well as the staff/ officials of the Municipal Corporation.

In this regard Municipal Corporation Shimla sought time to verify and examine the proposal as put forth by the counsel of the petitioner.

A meeting regarding this was held on dated 07-12-2020 at 04:00 PM under the Chairmanship of worthy Commissioner Municipal Corporation Shimla wherein Addl. Commissioner Municipal Corporation Shimla, Addl. Comm. (Legal) , EE-cum-Project Director and the concessionaire Sh.Parmod Kumar were present. After the detailed discussion the Concessionaire was asked to give a proposal in writing for handing over the lift parking and Commercial Complex to Municipal Corporation Shimla to house its all offices under one roof.

The Proposal given by the Concessionaire on dated 08-12-2020 wherein he has stated that he is prepared to handover the Lift Parking and commercial Complex at a cost of Rs. 56 Crore.

He has further agreed that after the current bank liability of approximate Rs. 30 Crore is tobe paid back to the bank at the earliest and rest of the amount (investment of share holders, loan from Director, payment for work done etc.) can be returned in four installment in a period of one year without interest.

Hence keeping in view the above facts, matter is placed before Hon'ble MC House for perusal and consideration.

Additional Commissioner
Municipal Corporation Shimla

EE-cum-Project Director
Municipal Corporation Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि यह मामला चर्चा हेतु सदन की अगली बैठक में लाया जाए।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(2)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Construction of Ambulance road from Reliance Office to Lehiri Bhawan, Dev Nagar RD 0/0 to 0/100 in ward No.29 Vikasnagar

An estimate amounting to Rs.17,43,600/- only has been prepared for construction of Ambulance road from Reliance Office to Lehiri Bhawan, Devi Nagar RD 0/0 to 0/100 in ward No.29 Vikas Nagar. The residents of Upper Dev Nagar and Housing Board Colony Kasumpti are not connected to the main road and they are facing lot of hardships without any ambulance road.

It is pertinent to mention here that the work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to facilitate the public of area. Hon'ble Councillor and the residents of the area have been requesting time and again for construction of said ambulance road.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs. 17,43,600/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities after ensuring the quality of work.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर चर्चा के दौरान श्री दिवाकर देव शर्मा, मा० पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में मझयाट के लिए जो Ambulance Road प्रस्तावित है उसका estimate भी बनाया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर निगम शिमला की वित संविदा एवं योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन।

विभाग का नाम:- सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नाम:- अतिरिक्त आयुक्त

3(3)

लोक लेखा समिति का 356वें कार्यवाही प्रतिवेदन (नवम विधान सभा) बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा कृष्णा नगर में काऊ शैडो का आबंटन लीज आधार पर किया गय था, 8 पट्टाधारियों द्वारा वर्ष 1975 में आगजनी के कारण काऊ शैडों को छोडकर अपने पैतृक गांव चले गये थे। इसमें 8 मामले कृष्णानगर व एक मामला भराडी का है कुल 9 मामलें हैं। वर्ष 1975 से काऊ शैडो के किराये का भुगतान नहीं किया गया। जिस बारे विभाग द्वारा बार-बार पत्र/नोटिस जारी करने के उपरान्त भी किराये का भुगतान नहीं किया गया। बकाया राशि की वसूली बारे जारी किये गये पत्रो/नोटिसों का मूल पता न होने के कारण प्रेषित किये गये पत्र/नोटिस विभाग को वापिस आते रहे। उपरोक्त पट्टाधारियों से कुल राशि रू0 23545/- लेनी देय थी। जिसमें से रू0 16582/- की वसुली की जा चूकी है शेष बकाया राशि रू0 6963/- की वसूली हेतू लेनी बचती है। इस राशि की वसूली बारे शहरी विकास विभाग द्वारा बकाया राशि को बट्टे खाते में समायोजित करने बारे बार-बार पत्राचार किया जा रहा है। इस विषय को मध्यनजर रखते हुए मामला बट्टे खाते में डालने बारे विभाग की प्रस्तावना की जाती है। क्योंकि इस राशि की वसूली करना मुश्किल है।

अतः उपरोक्त मामला नगर निगम शिमला के वित संविदा एवं योजना समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(2) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि इस भूमि की निशानदेही करवा करके इसकी बाड़ बन्दी की जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

3 (4)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Providing and fixing channel railing on M.C. road leading from Old Tribunal Court to Flowerdale via Dhobighat in ward No.17

An estimate amounting to Rs.22,43,000/- only for providing and fixing channel railing on M.C. road leading from Old Tribunal Court to Flowerdale via Dhobighat in ward No.17. Said road has been widened by M.C. Shimla recently. At present there is no provision of railing alongside the said road. Hon'ble Councillor and the residents of area have been requesting time and again to M.C. Shimla for fixing of railing alongside this road. It is essential to provide channel railing in this road in order to avoid any untoward incident at site.

The matter is thus placed before M.C. Shimla for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs. 22,43,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities after ensuring the quality of work.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner, Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(3) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति इस आधार पर प्रदान की गई कि इस मामले में यह दर्शाया जाए कि channel railing का कार्य कितने विस्तार/लम्बाई में किया जाना है और भविष्य में भी मामलों में यह दर्शाया जाए कि कार्य का विस्तार/लम्बाई कितनी है।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

3(5)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Construction of Temporary Shed near Cecil Parking Chaura Maidan.

It is submitted that M.C. Shimla has proposed reconstruction of old existing building near J.E. Office Ambedkar Chowk, Chaura Maidan under "Shimla Smart City Mission" by constructing Book Cafe in the larger interest of public. Said existing building is in dilapidated condition and can damage at any time. Presently there is two JE's office, MC Store and one shop in this building which requires to be shifted to some other location. JE's Office has been shifted to another site and shopkeeper residing in this building has also been shifted in the temporary steel structure constructed against above mentioned work adjoining Cecil Car Parking. Shifting of JE's Offices and shop were necessary as the work of Book Cafe was required to be started by RTDC being executive agency, who have assigned the said work under "Shimla Smart City".

Keeping in view the urgency, an estimate amounting to Rs.12,83,400/- only has been framed for construction of temporary shed to accommodate the tenant of shop and MC store. Online tenders were called and opened on 09.09.2020 for the said work and letter of intent to the lowest bidder has been issued to execute the work. Said work was started in urgency to accommodate the shopkeeper and provide MC store.

The matter is thus placed before M.C. Shimla for consideration and following approvals:-

1. Ex-post facto Approval of above estimate amounting to Rs. 12,83,400/- only
2. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities after ensuring the quality of work.
4. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(4) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(6)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Widening of road from Kainth Estate to Durga Bhawan Ram Nagar in ward No.12 RD 0/150 to 0/250 mtr

It is submitted that the portion of aforesaid road in length of 100 mtr is very narrow. Hon'ble Councillor and the public of the area have been demanding time and again for widening of this road. Keeping in view an estimate amounting to Rs.35,77,400/- only was prepared for widening of road from Kainth Estate to Durga Bhawan Ram Nagar in ward No.12. The proposal involves huge construction amount as per estimate. So it has been proposed that said estimate in 1st phase amounting to Rs.16,50,000/- may be processed under "MC Head" keeping in view the urgency of work.

It is pertinent to mention here that the work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to facilitate the public of area.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.16,50,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(5) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC-PC MEETING

Name of Department- Health Department
Head of Department- Dr. Chetan Chouhan

3(7)

Regarding payment of Electricity Bills of public toilet within MC Limit

The payment of electricity bills of public toilets were paid by the Contractor/Firms. But the Contractor has left their service and after January, 2020 the electricity bills payment are being paid the Health Deptt. M.C. Shimla. There are an unspent amount of Rs.3.75 Lakh under the dumper container head of account (410–80–01). The electricity bills till 31.03.2021 are required to be paid from electricity head which has been exhausted. Therefore it is requested that the amount of Rs. 3.75 lakh may be transferred to electricity head of account **(220-11-01)** from Dumper Container Head. Therefore the Memorandum is placed before the Finance Contract and Planning Committee for its approval please.

Addl. Commissioner
MC Shimla.

Corporation Health Officer
MC Shimla.

वत्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(6) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(8)

Subject:- Construction of RCC Nallah from Ganga Ram House to Dalog in ward No.11 Nabha RD 0/230 to 0/380 mtrs.

An estimate amounting to Rs.13,19,800/- only has been prepared for the subject cited work. At present there exists Kachha nallah from RD 0/230 to 0/380 due to which the flow of water is causing seepage to the retaining walls of adjoining houses and land. The public of the area and the Hon'ble Councillor of ward have been demanding time and again for construction of nallah between above said RDs.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.13,19,800/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner, Head of Department

वत्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(7) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(9)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Road from main road Kuftadhar to Mini Kuftadhar RD 0/0 to 0/425 (SH:- P/F Steel Railing & P/L CC 1:2:4 in drain) in ward No.2

It is submitted that there is an ambulance road from main road Kuftadhar to Mini Kuftadhar in ward No.2 (Ruldu Bhatta). At present there is no provision of railing in the road. The gradient of road is very steep which may lead to any untoward incident. Keeping in view an estimate amounting to Rs.13,33,400/- only was prepared by taking provision of steel railing and cement concrete 1:2:4 in length of 425mtr.

It is pertinent to mention here that the work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to execute the work in larger public interest. Hon'ble Councillor and the public of the area have been demanding time and again for execution of said work.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.13,33,400/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner, Head of Department

वत्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(8) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर निगम शिमला की वित् संविदा एवं योजना समिति की बैठक के विचारार्थ ज्ञापनः

3(10) विभाग का नामः सम्पदा शाखा
विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त

विषयः- लोक लेखा समिति का 100वें कारवाई प्रतिवेदन के बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत् करवाया जाता है नगर निगम शिमला द्वारा श्री एम. आर. धनी, ओटर विला, इस्टेट छोटा शिमला में रास्ते के प्रयोग हेतू 50 वर्ग या 4 वर्ग फुट भूमि लीज़ पर आवंटन की गई थी। लोक लेखा समिति के 100वें कारवाई प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2.2 (च) के अन्तर्गत सम्बन्धित पटाधारक से वर्ष 1988 से 1996-97 से तक लीज़ की बकाया राशि रु. 7,125/- वसूल की जानी थी। निगम प्रस्ताव 3(19) दिनांक 28.11. 2020 के अन्तगर्त सम्बन्धित पटाधारक के लीज़ को रद्द किया गया है तथा वर्ष 1988 से 2018-19 तक लीज़ की बकाया राशि रुपये 37,872/- ब्याज व माल सेवाकर अतिरिक्त सहित रद्द की गई है। इस प्रकार उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत जो बकाया राशि रद्द की गई है उसमें लोकलेखा समिति के 100वें कारवाई प्रतिवेदन के अन्तर्गत श्री एम. आर. धनी से वर्ष 1988 से 1996-97 तक लीज की बकाया राशि रुपये 7,125/- भी सम्मिलित है वह राशि भी रद्द हो चुकी है। अतः उक्त बारे मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(9) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3(11)

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF HON'BLE FC-PC

Name of Department- Health Department
Head of Department- Dr. Chetan Chauhan

Subject: Garbage Management-request for 20 dumper container and one dumper placer on loan basis by District Administration, Lahaul & Spiti.

A request has been received from Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti at Keylong, wherein it is mentioned that with the opening of Atal Tunnel, Rohtang, the influx of tourists in Lahaul valley is mounting day by day and consequently the garbage generation has increased manifold. Thus, it has become very difficult to manage the garbage being generated in the valley. It is further mentioned that the District Administration, Lahaul & Spiti is planning to transport the garbage generated in the valley to ACC Ltd. (Unit I & 2) Gagal Cement Work-Barmana, District Bilaspur, H.P. and therefore, temporary storage is required at various locations to store the garbage generated by the tourists. Again it is mentioned that recently Municipal Corporation Shimla has made the city dumper free and all the dumpers are lying idle.

In view of the facts mentioned above, a request has been made by the Deputy Commissioner to provide at least 20 dumper containers and 1 dumper placer as goodwill gesture on loan basis to District Administration, Lahaul & Spiti, so as to manage their waste. It is further mentioned here that Municipal Corporation Shimla has a total of 7 dumper placers presently.

Hence the matter is placed before the Hon'ble FC & PC for consideration and approval please.

Additional Commissioner
MC Shimla

Corporation Health Officer
MC Shima

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(10) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF FINANCE, CONTRACT AND PLANNING COMMITTEE OF MC SHIMLA

3(12)

Name of Department : General Department

Name of HoD : Additional Commissioner

Regarding issuance of No Objection Certificate in respect of the land identified for the construction of Judicial Officers Hostel comprised in Khasra No.406/1 measuring 0-38-72 hectares (out of Khasra No.406) situated in Mohal Sankat Mochan Tehsil & District Shimla, HP.

It is submitted that on receipt of a proposal from the District & Sessions Judge, Shimla for issuing of **"No Objection Certificate"** to the effect that there is no suitable alternative non-forest land available for the construction of Judicial Officers Hostel at Shimla within the shortest radius of District Judicial Courts Complex, Chakkar, Shimla for construction of Judicial Officer Hostel comprised in Khasra No.406/1 measuring 0-38-72 hectares (Out of Khasra No.406) situated in Mohal Sankat Mochan Tehsil and District Shimla, H.P during the year 2016, the reports were obtained from the concerned Depttss/Branches of the Corporation and also from the Ward Sabha of Ward No.7-Boileauganj (now Ward No.9-Kachhighati). As per the revenue record the land in question is under the ownership of Govt. of Himachal Pradesh and possession has been shown as "कब्जा स्वयं तावे हक्कूक वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन". Accordingly, the necessary NOC could not be issued for the reasons that the Ward Sabha has already proposed a Community Centre over the land in question. The Ld. Court was apprised in this behalf vide letter dated 29.11.2016.

The matter is being monitored by the Hon'ble High Court of H.P. and in compliance of the directions issued by the Hon'ble High Court to resolve the issue by convening a meeting in the Chamber of Ld. District & Sessions Judge, Shimla. Accordingly,

Contd...P/2...

a meeting convened by the Ld. District & Sessions Judge, Shimla was attended and the factual position was brought to the notice of the Ld. Judge that the Deputy Commissioner, Shimla has already issued **"No Objection Certificate"** to the effect that there is no alternative non-forest land available for construction of Judicial Officer Hostel at Chakkar. The Ld. Judge was also apprised that there is no provision in HPMC Act, 1994 for issuance of such certificate by the Municipal Corporation Shimla, however, the MC Shimla usually issue NOC only for transfer of land. The Ld. Judge was further apprised that the matter will be placed before the General House of the Corporation through FC&PC to consider the grant of NOC in this regard.

Therefore, the matter is placed before the Finance, Contract and Planning Committee for consideration of issuance of **"No Objection Certificate"** in favour of the District & Sessions Judge, Shimla for the construction of Judicial Officers Hostel on land comprised in Khasra No.406/1 measuring 0-38-72 hectares (Out of Khasra No.406) situated in Mohal Sankat Mochan Tehsil and District Shimla, H.P.

Commissioner

Additional Commissioner

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(11) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मामले में सम्बन्धित पार्षद से भी चर्चा की जाए और मामला सदन सम्मुख लाया जाए।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(13)

Subject:- MC Road from Zoo Road to Poultry Form Rd 0/0 to 0/680 in ward No.10 Tuti Kandi (SH:- Cutting, Soling, Wearing, Premix Carpeting Seal Coat etc)

It is submitted that original estimate for the subject cited work was approved for Rs.13,63,000/- only from M.C. House vide its resolution No.3(6) dated 27.01.2018. After calling tender on the said estimate, the awarded amount came out Rs.14,98,320/- only which was higher side from the estimated amount. So the awarded amount has been restricted upto sanctioned estimated amount i.e. Rs.13,63,000/- by the department. But due to increase in scope of work, the cost of work has been increased from the restricted amount i.e. Rs.13,63,000/- only. Now necessary revised estimate as per actual execution has been prepared amounting to Rs.15,93,671/- only.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. To accord approval of revised estimates amounting to Rs.15,93,671/- and to accord approval of deviation from the awarded amount i.e. up to revised estimate.
2. To accord ex post facto approval of the work already executed through same contractor against the original tender agreement in terms of the time constraint for continuing the work under engaged contractor.
3. To authorise the Executive Engineer, R&B, for making payment to the contractor for work done.
4. To incur the expenditure from the funds received under M.C. Head.

Commissioner, Head of Department

वत्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(12) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL FUNCTION COMMITTEE OF MC SHIMLA

Name of Department : General Department

Name of HoD : Additional Commissioner

3(14)

Deployment of Home Guards for implementation of directions passed by the Hon'ble High Court in CWPIL No. 14/2014 regarding regulating/ controlling unauthorized vendors- Extension of period thereof.

Pursuant to the orders passed by the Hon'ble High Court in COPC No. 111/2019 dated 22.05.2015 and directions issued in CWPIL No. 14/2014 with respect to regulating/controlling un-authorized selling of goods/wares by hawkers, display of goods by shopkeepers on drain/public roads/path/streets in any bazaar within the Municipal Corporation area, the Municipal Corporation has approved the proposal for engagement of 10 Nos. Home Guards initially for a period of three months w.e.f. 21.07.2019 to 20.10.2019 vide Resolution No. 3(14) dated 30.08.2019 which was further extended upto 31.03.2020. Due spread of COVID-19, these Home Guards were repatriated to their Department. However, subsequently with the approval of Municipal Corporation Shimla obtained vide its Resolution No. 3(3) dated 27.06.2020, 4 Nos. Home Guards were deployed for the purpose in question for a period of six months commencing from July, 2020 and the same is going to expire on 23.01.2021.

The services of these Home Guards are still required by the Estate Branch, MC Shimla for further period of 6 months w.e.f. 24.01.2021 to 23.07.2021.

Contd...P/2..

Accordingly, the proposal is placed before the General Function Committee for consideration of continuation of engagement of 4 Nos. Home Guards for further period of six months w.e.f. 24.01.2021 to 23.07.2021.The expenditure on this account is proposed to be met out of MC Funds.

Commissioner | Additional Commissioner

साधारण कृत्य कारक समिति की बैठक में मा० सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या (Quorum) पूरी न होने के कारण निर्णय लिया गया कि यह मामला सीधे तौर पर मा० सदन सम्मुख विचारार्थ लाया जाए।

"MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF HON'BLE MC HOUSE"

3(15)

Name of Department: Ashiana-II- Project Cell

Head of Department: EE-cum-Project Director

Subject: **Allotment of houses to Urban poor of Shimla Town Ashiana-II under Basic Services to urban poor (BSUP) of JNNURM 2nd Phase.**

Under Ashiana-II 2nd Phase allotment of houses to urban poor, Sh. Raghuvir Singh S/o Hari Chand House No. 109, Krishna Nagar Shimla was approved for allotment of dwelling units by the Hon'ble MC House vide resolution no.2 (13) dated 30-04-2020 and also Municipal Corporation Shimla has further approved vide resolution no. 3 (21) dated 31-07-2020 that offer letter for acceptance of terms and conditions to take the possession of dwelling unit be provided to them. Accordingly this office had issued a letter to the Sh. Raghuvir Singh S/o Hari Chand on dated 29-09-2020 to accept the terms and conditions for possession of dwelling units Set No. 1 Block No. 18 under Ashiana-II. In the mean time after issuance of offer letter to Sh. Raghuvir Singh, her wife Smt. Harjeet Kaur has intimated on 15-10-2020 that her husband has been expired on 09-03-2020 and requested to allot the dwelling unit in her name.

In this regard she has submitted the requisite documents as per terms & conditions for allotment of dwelling units under Ashina-II Project. After verification of documents, she is found eligible for allotment of dwelling unit in place of her deceased husband name.

Therefore, the matter is placed before the Social Justice Committee / GFC/Honble House of MC for consideration the name of Smt. Harjeet Kaur in place of her deceased husband name for allotment of dwelling units under Ashiana-II Project.

Additional Commissioner,
Municipal Corporation Shimla

EE-cum-Project Director,
Municipal Corporation Shimla

सामाजिक न्याय समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE OF THE MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

Name of the Department : General Department (DM Cell)
Name of HOD : Additional Commissioner

3(16)

Regarding Urban Resilience Programme within Shimla City-Extension of activities and period of engagement of City Project Coordinator, Disaster Management

It may be submitted that USAID-GoI-UNDP Project of 'Developing Resilient Cities through Risk Reduction in Context of Disasters and Climate Change' undergoing in Shimla Municipal Corporation which was implemented in two phases since 2012 has come to an end on 31st December 2020 along with the position of City Project Coordinator appointed by UNDP who was looking into the Disaster Management activities of the project since 2012.

It is further submitted that due to COVID-19 Pandemic certain activities of the project could not be undertaken within city under the aegis of Municipal Corporation Shimla. In this reference UNDP through e-mail dated 28th December 2020 to Municipal Corporation Shimla has informed that there might be some unspent resources of the project and due to COVID -19 certain activities could not have been planned in 2020. In addition it has also been mentioned by the UNDP that it would be grateful if the pending activities are implemented by Shimla Municipal Corporation in 2021 through the unspent resources and part of the resources could also be considered to support the position of Project Coordinator for efficient coordination of the activities.

ANNEXURE-A

Proposed Budget Activities under extension of GOI-UNDP-USAID Project

Shimla, 2021

UNDP Funded Components

	Activities	Allotted Budget per component by UNDP (Rs.)	Amount Already incurred on activities remaining and ongoing at MC Shimla (Rs.)	Unspent Balance as on 31.12.2020 Proposed to be incurred in coming year (Rs)	Remarks
1.	Training on Emergency Care Management and Mass Casualty Management – especially in handling large scale emergencies in Shimla City	1,00,000.00	00.00	1,00,000.00	Could not be undertaken due to Covid-19
2.	One –Days Workshop on Role of Private Businesses particularly Hotels and Tourist Operators in Disaster Management	1,00,000.00	00.00	1,00,000.00	
3.	Sensitization Programme on Hospital Safety/ disaster management and demonstration on structural safety aspects in IGMC	4,00,000.00	00.00	4,00,000.00	Could not be undertaken due to Covid-19
4.	Training Programme for Ward Level Volunteers (3 days)	2,00,000.00	41,134.00	1,58,866.00	Part training conducted for sensitization of

					Elected members at HIPA in June 2019
5.	Formation of DM committees – ward level (response) teams	50,000.00	00.00	50,000.00	• Component 5 not undertaken due to committees not fully formed in wards. • Component 6 not undertaken as needs to be formed
6.	Establishment of online data base and inventory of DM on MC website for Shimla city.	50,000.00	00.00	50,000.00	
7.	Structural Safety Audit for selected schools designated to be safe shelters within wards.	2,00.000.00	00.00	2,00,000.00	•Point 7 Component not undertaken due to no tender received after repeated tendering •Components under point 8, 9 & 11 under process •Component 10 &12 could not be undertaken due to Covid-19 in field.
8.	Updation of City Disaster Management Plan of 2016	1,50,000.00	60,000.00	90,000.00	
9.	Formation of Fire Disaster Management Plan for 34 wards with special emphasis on pedestrian movement	1,50,000.00	60,000.00	90,000.00	
10.	Local disaster awareness and capacity building of communities within wards especially regards to earthquake and fire.	1,50,000.00	00.00	1,50,000.00	
11.	Micro-mapping of essential utility services within wards	1,28,000.00	38,400.00	89,600.00	

CPE

Accounts Officer

12.	Business Continuity Plan for vipar mandel within city under PPP projects	1,50,000.00	00.00	1,50,000.00	
13.	Administrative Funds	30,000.00	00.00	30,000.00	Remaining from AWP 2019 and 2020
	Total amount in Rs.	18,58,000.00	1,99,534.00	16,58,466.00	

The final details of funds (Inclusive of Interest rate since inception of URR project at MC Shimla) after remaining activities to be undertaken in 2021 are as below:

S. No.	Total Amount including interest Earned - as per cheque book of URR (Rs.)	Funds of remaining activities as per above Annexure (Rs.)	Remaining Amount (Rs.)
1.	27,86,379.00	16,58,466.00	11,27,913.00

The final details of funds after remaining activities to be undertaken in 2021 are as below:

S. No.	Total Amount remaining after Activities in 2021 of the UNDP project (Rs.)	Salary @ Rs. 83086.00 per month as per UNDP Pay slip of December 2020 @12 months (one year up to December 2021)	Amount Remaining with MC Shimla of the project after salary of CPC and various activities to be undertaken in 2021 for miscellaneous activities (Rs.)
1.	11,27,913.00	9,97,032.00	1,30,881.00

CPC

Accounts Officer,
Municipal Corp...

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF M.C. HOUSE

3 (17)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Regarding existing unsafe/dilapidated building at Sanjauli (Survey report thereof)

It is submitted that the Chief General Manager, Ropeway & Rapid Transport System Development Corporation has submitted survey report for dismantling of aforesaid existing unsafe/dilapidated building at Sanjauli under "Shimla Smart City Mission". The detail survey report is as under:-

S.No.	Name of building/ location	Net Reserve Price (Rs.)	Cost of Dismantling (Rs.)	Recoverable Value (Rs.)	Write o loss Valu (Rs.)
1.	Sanjauli (Proposed for Book Cafe)	6,25,102/-	1,36,500/-	32,326/-	7,29,276/

The building is in dilapidated condition and beyond economical repair and falls under the jurisdiction of M.C. Shimla being developed under "Smart City Mission" and a proposal for construction of Book Cafe after dismantling the building has been made.

It has been proposed by M.C. Shimla that the stakeholder Department will demolish the structure and disposal of unserviceable as well as serviceable material will be done at their own level. Accordingly concerned department will refund the amount on account of disposal of serviceable material with proper inventory to M.C. Shimla.

The matter is therefore placed before M.C. House for consideration and approval of Survey Report for demolition of aforesaid structure so that work of construction of Book Cafe may be executed in a time bound manner.

Addl. Commissioner,

Head of Department

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF HON'BLE MC HOUSE

Name of Dept.: Health Department.
Head of Dept : Dr. Chetan Chauhan

3(18)

Subject: **Declaration of Municipal Corporation Shimla as Five Star in Star Rating of Garbage free Cities.**

Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) launched the Protocol for Star Rating of Garbage Free cities in order to institutionalize a mechanism for cities to achieve Garbage Free status, and to motivate cities to achieve higher degrees of cleanliness. The star rating protocol builds on aspirations of cities to progress towards higher standards of "Swachhata". The protocol designed in a way as to enable cities to gradually evolve into a model city, with improvements in cities' overall cleanliness. Additionally with increasing levels of stringency and aspirational in nature, the protocol feeds cities with ambitions and dreams of becoming an ideal city for its residents and a role model for other cities to follow.

MoHUA has constantly endeavored to revisit and strengthen the framework basis the feedback received from cities which led to the launch of the modified protocol 'Star Rating Protocol of Garbage Free Cities 2021. The protocol follows a graded approach through which cities are evaluated and given a graded score for each component as per the progress achieved by the cities. The protocol is, based on 24 components follows a SMART framework – Single metric, Measurable, Achievable, Rigorous verification mechanism and Targeted towards outcomes.. The protocol has been devised in a holistic manner including components which are critical drivers for achieving garbage free status, such as: door to door collection, segregation at source, sweeping in residential, commercial and public areas, provision of litter and/or storage bins, processing of wet and dry waste, responsibilities of bulk waste generators towards on-site waste processing, penalties, spot fines & user charges, scientific landfill, cleanliness of drains & water bodies, screening of nallahs, plastic waste management, managing construction & demolition waste, beautification with sustainability, resolution of

citizen complaints covering issues related to littering, garbage dumping, overflowing litter bins, etc.. The above mentioned components have been divided into Mandatory, Essential and Desirable indicators and allocated the required weightage respectively. A city may score anywhere between level 1 (minimum) to level 4 as per its performance. Thus, a city can be declared as "Garbage Free" and achieve Star Rating certification if it complies with the conditions as prescribed in Garbage Free City protocol.

In view of above, the matter is placed before the Hon'ble MC House for consideration and declaration of MC Shimla as Five Star in Star Rating of Garbage free Cities please.

Commissioner
MC Shimla

Corporation Health Officer
MC Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन:-

विभाग का नाम: सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नाम: अतिरिक्त आयुक्त

3(19)

विषय- नगर निगम शिमला की व्यवसायिक, दुकानों, स्टॉलों, एटीएम, होर्डिंग, करैट, पार्किंगों, घरेलु व रोड़ साईड को खुली बोली द्वारा आंबटित करने बारे।

नगर निगम शिमला की व्यवसायिक दुकाने/ स्टॉल/ एटीएम, होर्डिंग, करैट व पार्किंगों, घरेलु/व्यवसायिक व रोड़ साईड, के आंबटन करने के लिए दिनांक 05.01.2021 से 08.01.2021 तक भिन्न-भिन्न तिथियों में खुली बोली द्वारा जनहित में रखी गई थी। जिसके लिए नियमानुसार बोलीदाताओं द्वारा जिन पार्किगों व दुकानों, स्टॉलों, एटीएम, होर्डिंग, करैट, पार्किगों, घरेलु/व्यवसायिक व रोड़ साईड, के लिए उच्चतम खुली बोली दी गई है। जिसका विवरण अनुबन्ध 'क' अनुसार सलंग्न है। निगम की बोली कमेटी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में आंबटन की स्वीकृत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.01.2021 को 4,6,8,912,13,14, दिनांक 06.01.2021 को क्रंम सख्यां 2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15 व 16, दिनांक 07.01.2021 मे संख्या 3 तथा दिनांक 08.01.2021 को क्रंम सख्या 1 के लिए एक ही बोलीदाता/कोई भी बोली प्राप्त नहीं की गई है जिस पर बोली कमेटी द्वारा अस्वीकृत करते हुए इन्हे पूनः निविदायें आंमत्रित करने का निर्णय लिया गया हे। दिनांक 06.01.2021 को मद संख्या 3 निगम की कार पार्किंग फिगांस्क ईस्टैट शिमला को बोलीदाता द्वारा राशि रू0 45,000/- वार्षिक नांम मात्र बोली गई है। परन्तु निगम द्वारा घरेलू पार्किगों के लिए पार्किंग फीस प्रतिवाहन रू0 600/- मासिक जी.एस.टी 18 प्रतिशत अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। उक्त पार्किंग में 8 वाहनों की क्षमता अनुसार कुल राशि रू0 57,600/- प्राप्त होती है। परन्तु खुली बोली में जो उच्चतम बोली बोली गई है। वह राशि बहुत ही कम है। इससे निगम को वितय हानि हो रही है तथा मामला माननीय न्ययालय में भी विचाराधीन है। इस सन्दर्भ में स्थानीय पार्षद वार्ड नं0. 3 से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त पार्किंग को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान करने बारे आग्रह किया गया है। निगम की वितय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए उक्त पार्किंग में बोली गई उच्चतम बोली को रद्द करने बारे व स्थानीय लोगों को निगम द्वारा तय की गई पार्किंग फीस के आधार पर आंबटीत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

अतः मामला नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रस्तुत है।

अतिरिक्त आयुक्त

आयुक्त

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अनुलग्नक "क"

नगर निगम शिमला

दिनांक 05.01.2021, 06.01.21, 07.01.21 तथा 08.01.21को 12.00 बजे, नगर निगम की मैट्रोपोल कार पार्किंग कार्ट रोड में नगर निगम शिमला द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित/निर्मित कार पार्किंगों/दुकानों/स्टालों/ए0टी0एम0/विज्ञापन पट स्थलों व पुरानी केटों को ठेके पर खुली बोली द्वारा आबंटित/निलाम करने बारे गठित कमेटी के निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में खुली बोली करवाई गईः-

1.	अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला।	अध्यक्ष
2.	अधिशासी अभियन्ता, मार्ग एंव भवन नगर निगम शिमला।	सदस्य
3.	निगम स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम शिमला।	सदस्य
4.	लेखा अधिकारी, नगर निगम शिमला।	सदस्य।

उक्त बोली में निर्धारित शर्तों को उपस्थित बोलीदाताओं को, बोली आरम्भ करने से पहले, पढकर सुनाया गया। खुली बोली हेतू रखी गई पार्किंगों/दुकानों/स्टालों/विज्ञापन पट स्थलों/केटो का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

[redacted]

[redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 8,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 2,50,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल दो प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। श्री अजय सिंह सलवानी द्वारा बोली राशि रू0 10,05,000/- वार्षिक दी गई है तथा श्री संजीव श्याम द्वारा बोली राशि रू0 10,10,000/- वार्षिक बोली गई है। इसलिए श्री संजीव श्याम के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 10,10,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

[redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 8,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 2,50,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल चार प्रतिभागियों द्वारा

भाग लिया गया। इस पार्किंग के लिए श्री श्याम सिंह चौहान द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 12,01,000/- वार्षिक बोली गई है। इसलिए श्री श्याम सिंह चौहान के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 12,01,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

3. [redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 2,05,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 60,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल सात प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस पार्किंग के लिए श्री मनोज कुमार बसंल द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 5,09,000/- वार्षिक बोली गई है। इसलिए श्री मनोज कुमार बसंल के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 5,09,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

4. <u>एम.सी कार पार्किंग खलीनी, शिमलाः</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री संदीप तिवारी द्वारा भाग लिया गया। इसलिए एक ही बोलीदाता होने पर उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

5. [redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 2,30,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 60,200/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल चार प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। जिसके लिए उच्चतम बोलीदाता श्री दीपक मांटा द्वारा राशि रू0 4,20,000/- वार्षिक बोली गई। इसलिए श्री दीपक मांटा के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 4,20,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

6. <u>निगम कार पार्किंग एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,20,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 35,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री मनोज कूमार भारद्ववाज द्वारा भाग लिया गया है। इसलिए एक ही बोलीदाता होने पर उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

7. [redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,15,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 34,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल चार प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस पार्किंग के लिए श्री महेन्द्र सिंह द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 2,97,000/- वार्षिक बोली गई। इसलिए श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 2,97,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

8. <u>निगम कार पार्किंग अमर भवन टिब्बा होटल जाखू (दो मंजिलें) :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,45,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 36,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया है। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

9. <u>निगम कार पार्किंग सिसल होटल चौड़ा मैदान, शिमला :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 3,50,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 1,00,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री विशाल वालिया द्वारा भाग लिया गया। इसलिए एक ही बोलीदाता होने के कारण उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

10. [redacted]:

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 46,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 13,800/- निर्धारित की गई थी। जिसमें कुल दो प्रतिभागियों द्वारा श्री हीरा नन्द वर्मा व श्री संजीव श्याम द्वारा भाग लिया गया। श्री हीरा नन्द वर्मा द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 1,03,000/- वार्षिक बोली गई। इसलिए श्री हीरा नन्द वर्मा के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 1,03,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

11. [redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 46,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 13,800/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल दो प्रतिभागियों श्री प्रेम प्रकाश व श्री संजीव श्याम द्वारा भाग लिया गया। श्री प्रेम प्रकाश द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0

1,50,000/– वार्षिक बोली गई। इसलिए श्री प्रेम प्रकाश के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 1,50,000/– वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

12. **निगम कार पार्किंग सामुदायिक भवन कैथू, शिमला :**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 80,000/– वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 20,000/– निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री संदीप तिवारी द्वारा भाग लिया गया है। इसलिए एक ही बोलीदाता होने के कारण उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

13. **निगम कार पार्किंग सैक्टर 2 न्यू शिमला नजदीक हिमगैलरी, शिमला :**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,15,000/– वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 34,000/– निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया है। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

14. **निगम कार पार्किंग एस0डी0ए0 काम्पलैक्स नजदीक पंचायती राज भवन, शिमला :**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 65,000/– वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 20,000/– निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री नरेन्द्र सिंह गुलेरिया द्वारा भाग लिया गया। इसलिए एक ही बोलीदाता होने के कारण उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

[redacted] की बोली का विवरण :

1. **[redacted] :**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,70,000/– वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 48,000/– निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल दो प्रतिभागियों श्री जय चन्द चौहान तथा श्री जसबीर सिंह द्वारा भाग लिया गया। श्री जय चन्द चौहान द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 1,77,000/– वार्षिक बोली गई। इसलिए श्री जय चन्द चौहान के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 1,77,000/– वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

2. निगम कार पार्किंग जाखू मंदिर नियर बाबा बालक नाथ मंदिर, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,75,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 48,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

3. निगम कार पार्किंग फिगांस्क ईस्टेट, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 40,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 10,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल छः प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस पार्किंग के लिए श्री मोहित शर्मा द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 45,000/- वार्षिक दी गई। इसलिए श्री मोहित शर्मा के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 45,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

4. निगम कार पार्किंग कानधारी निवास अनाडेल, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 25,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

5. निगम कार पार्किंग नियर फाजी ढाबा, न्यू शिमला, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 2,10,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 60,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

6. निगम कार पार्किंग स्टॉक पलेस बैनमोर, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

7. निगम कार पार्किंग जनजातिया भवन ढली, शिमला :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 85,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं

लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

8. **<u>निगम रोड साईड पार्किंग पुलिस लाईन कैथू, शिमला :</u>**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 40,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 10,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री सोम नाथ घारू द्वारा भाग लिया गया। इसलिए एक ही बोलीदाता होने के कारण उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

9. **<u>निगम रोड साईड पार्किंग टाउनहॉल से कालीबाड़ी, शिमला :</u>**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 40,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 10,400/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री सोम नाथ घारू द्वारा भाग लिया गया। इसलिए एक ही बोलीदाता होने के कारण उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

[redacted] :

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 70,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशिरू0 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल दो प्रतिभागियों श्री संदीप तिवारी व श्री रवीकांत द्वारा भाग लिया गया। श्री संदीप तिवारी द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 96,000/- वार्षिक दी गई। इसलिए श्री संदीप तिवारी के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 96,000/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

11. **<u>निगम रोड साईड पार्किंग नियर जेसीबी स्कूल, न्यू शिमला, शिमला :</u>**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 45,000/- वार्षिक था प्रतिभूति राशि रू0 10,000/- निर्धारित की गई थी। जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग हीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली ए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

2. **<u>निगम रोड साईड पार्किंग लांबा क्वाटर, टूटीकण्डी, शिमला :</u>**

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 65,000/- वार्षिक या प्रतिभूति राशि रू0 15,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग ीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली ली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

[redacted]

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 65,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशिरू0 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल तीन प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस पार्किंग के लिए श्री संदीप तिवारी द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 1,55,500/- वार्षिक दी गई। इसलिए श्री संदीप तिवारी के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 1,55,500/- वार्षिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

14. <u>निगम रोड साईड पार्किंग यू.एस क्लब के सामने लाल एंड सन्स, शिमला :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 6,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 1,50,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

15. <u>रोड साईड पार्किंग खलीनी से फौरेस्ट ऑफिस, अलपाईन होटल टॅलैण्ड, शिमला :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 6,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 1,50,000/- निर्धारित की गई थी। जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

16. <u>निगम कार पार्किंग रिस्का, टूटीकण्डी, शिमला :</u>

इस पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 3,60,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 90,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त पार्किंग की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू मामला प्रस्तुत है।

[redacted]

1. [redacted]

इस दुकान के लिए नगर निगम द्वारा मासिक राशि रू0 25000/- के आधार पर आरक्षित राशि रू0 3,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 7,500/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 9 (नौ) प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस दुकान के लिए श्री प्रमोद द्वारा राशि रू0 45000/- प्रतिमाह बोली गई जोकि उच्चतम रही जिसके अनुरूप राशि रू0 5,40,000/- वार्षिक बनती। इसलिए श्री प्रमोद के पक्ष में उच्चतम बोली रू0 45000/-मासिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

2. [redacted]

इस दुकान के लिए नगर निगम द्वारा मासिक राशि रू0 40000/- के आधार पर आरक्षित राशि रू0 4,80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 12,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 20 (बीस) प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस दुकान के लिए श्री गुलत राम द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 4,85,000/- वार्षिक दी गई जिसके अनुसार राशि रू0 40,416.66 पैसे मासिक किराया बनता है। इसलिए श्री गुलत राम के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 40417/- मासिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

3. <u>निगम दुकान नं0. 6 कॉमर्शियल काम्पलैक्स नाभा दूसरी मंजिल, शिमला :</u>

इस दुकान के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 45,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें केवल एक ही प्रतिभागी श्री रोहित द्वारा भाग लिया गया। इसलिए उक्त दुकान की बोली रद्द की गई है। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

4. [redacted]

इस दुकान के लिए नगर निगम द्वारा मासिक राशि रू0 40000/- के आधार पर आरक्षित राशि रू0 4,80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 12,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 8 (आठ) प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस दुकान के लिए श्री बबलू द्वारा राशि रू0 48100/- प्रतिमाह बोली गई जोकि उच्चतम रही जिसके अनुरूप उच्चतम बोली राशि रू0 5,77,200/- वार्षिक बनती है। इसलिए श्री बबलू के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 48100/- मासिक (माल व सेवाकर अतिरिक्त) स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

5. <u>निगम ए0टी0एम0 नजदीक नथू हलवाई, लोअर बाजार, शिमला :</u>

इस ए0टी0एम0 के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 4,80,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 12,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त ए0टी0एम0 की बोली को रद्द किया गया। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

[redacted]:

1. <u>शिमला शहर के जोन नं0 1 के विज्ञापन पट्ट स्थल :</u>

शिमला शहर के जोन नं0 1 के विज्ञापन पट्ट स्थलों की निलामी के लिए नगर निगम द्वारा आरक्षित राशि रू0 1,62,00,000/- वार्षिक तथा प्रतिभूति राशि रू0 4,05,000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें किसी भी प्रतिभागी द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसलिए उक्त

विज्ञापन पट्ट स्थलों की निलामी को रद्द किया गया। अतः मामला पुनः खुली बोली किए जाने की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।

2. [redacted]

पुरानी प्लासटिक करेटों की निलामी के लिए नगर निगम द्वारा कुल 200 पुरानी करेंटों के विक्रय हेतू आरक्षित राशि रू0 6,000/- तथा धरोहर राशि रू0 1000/- निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल पाँच प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया है। इन करेंटों के लिए श्री मुस्तकीम द्वारा उच्चतम बोली राशि रू0 34.50/- पैसे प्रति करेंट दी गई है। इसलिए श्री मुस्तकीम के पक्ष में उच्चतम बोली राशि रू0 34.50/- पैसे प्रति करेंट स्वीकृत करने बारे मामला प्रस्तुत है।

लेखा अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	निगम स्वा0 अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त
सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष ।

अतः उपरोक्त समिति की सिफारिश अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त महोदय।

MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF HON'BLE MC HOUSE

Name of Department- Health Department
Head of Department- Dr. Chetan Chauhan

3(20)

Subject: **Regarding Operation & Maintenance of the Public/Community Toilets.**

The matter with regard to the Operation and Maintenance of Public/Community Toilets was placed before the Hon'ble House of MC Shimla vide Resolution No. 3 (19) in its meeting held on dated 29-12-2020.

As per the decision taken by the Hon'ble House and in view of the approval accorded by the Hon'ble MC, further negotiations were held with the Sulabh International Social Service Organization through their representative, Mr. Vinay Kumar, Hony. Controller of Sulabh International Social Service Organization and the matter was discussed in details. Now, M/s Sulbh International Social Service Organization has agreed upon the following points, which are placed for consideration:-

1. The 31 No. Toilet Blocks will be Operated & Maintained on "Pay & Use" basis by charging **Rs. 5/- per use of toilet, Rs. 10/- for bath with cold water and Rs. 15/- with hot water. No User Fee shall be charged from males and females for the use of urinals.**
2. It is proposed that out of 131 Toilets Blocks, 100 Nos. Toilet Blocks will be maintained at a service charge of **Rs. 2,44,950/- (Rs. Two Lacs Forty Four Thousand Nine Hundred and Fifty)** only per month as per details attached.
3. The Water charges against Operation & Maintenance of Toilet Blocks will be borne by MC Shimla. However, the complete electricity charges shall be borne by Sulabh International Social Service Organization.
4. The supply of water to each toilet blocks and make the necessary arrangements for the storage of water shall be ensured by MC Shimla to ensure proper cleanliness and Operation & Maintenance of the Toilet Blocks.
5. The minor repairs like repair/replacement of taps, bulbs, wash basin, WC Pot etc will be taken care by M/s Sulabh International; however, the major repair in the toilet building shall be the responsibility of the MC Shimla.
6. No advertisement rights in the premises of toilet blocks shall be given to Sulabh International Social Service Organization.
7. All the staff engaged by Sulabh International Social Service Organization shall be considered as the staff of the organization and the said organization shall be fully responsible for the payment of their monthly wages along with fulfillment of other

mandatory requirements like EPF and ESI etc MC Shimla in no way shall be responsible in this regard.

It is further mentioned that if approved by the Hon'ble House, initially the work may be awarded for first 1-2 years, which may be extended further based on the performance of the said NGO, for which Commissioner, MC Shimla may be authorized. This may help in upkeep of the sanitation conditions in the town. However, if the above conditions agreed upon by the Sulabh International are not mutually agreeable, MC may float fresh tenders.

Hence, the matter is placed before the Hon'ble MC Shimla for discussion, consideration and further approval please.

Addl. Commissioner
MC Shimla

Corporation Health Officer
MC Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

ANNEXURE-I

OPERATION AND MAINTENANCE OF TOILET BLOCKS ON SERVICE CHARGE BASIS IN MUNICIPAL CORPORATION AREA SHIMLA (H.P.)

NO. OF TOILET BLOCK - 100 NOS.

(i)	No. of social workers (for cleaning) 16 nos. @8250/- for 100 toilet complex	= 132,000.00
(ii)	Supervisor 02 nos @ 12500/-	= 25,000.00
(iii)	Cleaning Material	= 40,000.00
(iv)	Day to day repair and maintenance 100 site	= 25,000.00
(v)	Add 10% implementation charges for Sulabh	= 22,950.00
	Total	**= Rs. 2,44,950/- (Per Month)**

(Rupees Two Lac Forty Four Thousand Nine hundred and fifty only) Per Month

Note:

1. Water will be provided free of cost by the Municipal Corporation Shimla.
2. Monthly Electricity Bill will be borne by Sulabh International for total numbers of 131 Sites.
3. No advertisement right in the toilet block shall be with Sulabh International.
4. Thirty One (31) Nos. Toilet Blocks will be maintained on "Pay & Use" basis.

नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन।

विभाग का नामः सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नामः अतिरिक्त आयुक्त

3(21)

प्राधानार्चाया राजकीय उच्च पाठ्शाला खलीनी के आवेदन 29.05.2019 जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि उक्त स्कूल के साथ नए भवन के लिए भूमि की आवश्यकता है। आवेदन पत्र के साथ सलग्न जमाबन्दी वर्ष 2013-14 महाल भगवती नगर जो भूमि खसरा नं0. 17 रकवा 0-46-94 हैक्टर किस्म चारागाह द्रखतान मालिक सरकार हि0प्र0 व कब्जा नगर निगम शिमला दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नं0. 17 के कुछ भाग का खसरा नं0. 17/1, 17/2, 17/3, किता 3, रकवा 0-10-03 हैक्टर का मौका ततीमा पटवारी महाल द्वारा दिनांक 19.07.2020 को जारी किया गया है। जिसका शिक्षा विभाग के नाम अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है। उक्त को मध्य नजर रखते हुऐ प्राधानार्चाया, राजकीय उच्च पाठ्शाला खलीनी को प्रस्तावित नये भवन के लिए भूमि हेतू खसरा नं0. 17/1, 17/2, 17/3 किता (3) रकवा 0-10-03 हैक्टर मोहाल भगवती नगर कसुम्पटी, शिमला जिसकी मालिक हि0प्र0 सरकार कब्जा नगर निगम शिमला का है। अनापति प्रमाण पत्र मांगा गया है।

अतः अनापति प्रमाण पत्र देने बारे मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतिरिक्त आयुक्त

आयुक्त

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना अनुसार अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4(1)30

द्वाराः- श्रीमती आशा शर्मा, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

न्यू शिमला पटियोग क्षेत्र में जो भवन रोड़ साईड़ पर बने हैं और उनमें Basement बन्द पड़ी है ऐसे भवन मालिकों को पार्किंग बनाने के लिए Basement खोलने की अनुमति दी जानी उचित होगी। क्योंकि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अपने वाहन पार्क करने की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानियां आ रही है। यदि रोड़ साईड़ बने भवन मालिकों को Basement में पाकिग की सुविधा मिलती है तो वह अपने वाहनों को पार्क कर सकेगे तथा वाहन सड़कों के किनारे पार्क करने में कमी आएगी।

अतः जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि न्यू शिमला पटियोग क्षेत्र में रोड़ साईड़ पर बने भवन मालिकों को भवनों के नीचे बन्द पड़ी Basement म पार्किंग खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

हस्ता/-0

आशा शर्मा, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव में चर्चा के दौरान सम्बन्धित मा0 पार्षद के उपस्थित न होने के कारण यह प्रस्ताव ड्रॉप किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4(2)31

द्वाराः- श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

जैसेकि नगर निगम शिमला की परिधि की सभी सड़कों का रख-रखाव व मुरम्मत नगर निगम शिमला द्वारा किया जाता है। जिसके फलस्वरूप पूर्व में सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि नगर निगम की सड़कों पर चलाई जा रही हिमाचल पथ परिवहन की टैक्सियों को जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम शिमला के अधिकार क्षेत्र में लिया जाना उचित होगा ताकि इन टैक्सियों से नगर निगम को आय प्राप्त हो सके।

अतः निगम हित में प्रस्ताव किया जाता है कि सदन द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही टैक्सियों को नगर निगम शिमला के अधीन चलाया जाए, जिससे नगर निगम की आय सृजित होगी व निगम की आय बढ़ेगी।

हस्ता/-0
दिवाकर देव शर्मा, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिस पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला स्थगित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 4(3)32
द्वाराः- श्रीमती किरन बावा, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

जैसाकि विदित है कि बालूगंज वार्ड में बिजली के बिल जमा करने के लिए कोई भी इलैक्ट्रोनिक्स मशीन नहीं लगी है। लोगों को बिल जमा करने के लिए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। बीजेपी कार्यालय के नज़दीक बिजली की इलैक्ट्रोनिक्स मशीन लगाने के लिए पर्याप्त स्थान है।

अतः जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि बीजेपी कार्यालय के नज़दीक पर्याप्त स्थान पर बिजली के बिल जमा करने हेतू इलैक्ट्रोनिक्स मशीन लगवाई जाए।

हस्ता/-0

किरन बावा, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्रीमती किरन बावा, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्रीमती कुसुम सदरेट, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस आधार पर पारित हुआ कि इस मामले को examine कर लिया जाए।

प्रस्ताव संख्या 4(4)33

द्वाराः- श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद

प्रस्ताव

जैसाकि नगर निगम क्षेत्र में बने भवनों को पानी, सीवरेज व वेस्ट वाटर ड्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाना नगर निगम शिमला का दायित्व है और इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए निगम अथवा शिमला जल प्रबन्धन निगम लि0 द्वारा पानी व सीवरेज की मेन व ब्रान्च लाईन बिछवाई जाती है परन्तु कई स्थानों पर भवन मालिकों द्वारा अपनी भूमि या सेट बैक में से सीवरेज व पानी की लाईने बिछवाने पर आपत्ति की जाती है और कार्य रोक दिए जाते हैं। जिस वजह से अन्य भवनों को इन सुविधाओं से जोड़ने में परेशानियां आती है। इसलिए निगम नियमों में प्रावधान रखा जाए कि निगम सीमा के भीतर बने भवनों के सेट बेक से सीवरेज व पानी की मेन या ब्रान्च लाईन ले जाने में भवन मालिक कोई आपत्ति न कर सके। यदि निगम या शिमला जल प्रबन्धन निगम लि0 पानी या सीवरेज कोई मेन या ब्रान्च लाईन किसी भवन के सेट बेक से बिछाते है तो ऐसे भवन मालिकों को सेट बेक में कार्य करते हुए जो नुक्सान होगा उसकी भरपाई सम्बन्धित विभाग करेगा।

अतः निगम व जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि निगम क्षेत्र में बने भवनों के सेट बेक से सीवरेज व पानी की लाईन बिछवाने या ड्रेन का निर्माण करने बारे नगर निगम शिमला अधिनियम में प्रावधान किया जाए।

हस्ता/-0

संजीव सूद, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री संजीव ठाकुर, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

प्रस्ताव संख्या 4(5)34

द्वारा:- श्री सुनील धर, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

जैसाकि वर्तमान में पानी के घरेलू व व्यवसायिक दरें 0-20, 20-30 व 30 किलो लीटर से ऊपर के निर्धारित की गई है। जिस वजह से उपभोक्ताओं को पानी की क्षमता अधिक होने के कारण अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है और इसलिए पानी की मात्रा को 0-20 से 0-35, 20-30 से 35-50 तथा 30 से उपर की मात्रा को 50 किलो लीटर किया जाना उचित होगा ताकि उपभोक्ताओं को कम दर पर बिल जारी हो सके।

अतः जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित पानी की मात्रा का स्लैब 0-20, 20-30 व 30 किलो लीटर से उपर के घरेलू व व्यवसायिक के स्थान पर स्लैब 0-35, 35-50 व 50 किलो लीटर से उपर किया जाए।

हस्ता/-0
सुनील धर, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री सुनील धर, मा0 मनोनीत पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्रीमती कुसुम सदरेट, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

प्रस्ताव संख्या 4(6)35

द्वाराः- श्री जगजीत सिंह बग्गा, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

प्रस्ताव किया जाता है कि राम नगर में दूर्गा माता मन्दिर के नजदीक जो पुराना शौचालय है वह जर्जर हालत में है। इस शौचालय को तोडकर इसके स्थान पर ओपन जिम या Recreation Room बनाया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अतः जनहित में प्रस्ताव किया जाता है कि राम नगर में दूर्गा माता मन्दिर के नज़दीक जो पुराना शौचालय है उसको तोड़कर इसके स्थान पर ओपन जिम या Recreation Room बनाया जाए।

हस्ता/-0

जगजीत सिंह बग्गा,

पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव में चर्चा के दौरान सम्बन्धित मा0 पार्षद के उपस्थित न होने के कारण यह प्रस्ताव ड्रॉप किया गया।